

नवभारत

एसआईआर अवैध नहीं

2.65 करोड़ नाम कटे, फिर भी सुको ने एसआईआर को सही माना

नई दिल्ली, 27 मई. सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर दायर कई याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई को संवैधानिक और वैध ठहरा दिया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए विशेष पुनरीक्षण जैसी प्रक्रिया अपनाने का पूरा अधिकार है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि एसआईआर को केवल इसलिए गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सामान्य



प्रक्रिया से अलग है. करीब 10 महीने तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पांच अहम सवालों पर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने माना कि वोटर लिस्ट को साफ और सटीक बनाए रखना लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है और चुनाव आयोग इसी

संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन कर रहा है. अदालत ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया संतुलित, तार्किक और कानूनी दायरे में है, इसमें किसी प्रकार की मनमानी नहीं दिखाई देती. कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि आयोग दस्तावेज मांग सकता है और पहचान व नागरिकता की जांच के लिए दिशा-निर्देश तय कर सकता है. अदालत ने आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों को स्वीकार्य मानते हुए कहा कि बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के वोटर लिस्ट तैयार नहीं की जा सकती. हालांकि कोर्ट ने उन लोगों के लिए भी राहत का रास्ता

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली, 27 मई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई तीन-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, एनसीआरटी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

खुला रखा जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए गए लोगों के मामलों को चार सप्ताह के भीतर संबंधित प्राधिकरण के पास भेजा जाए.

आरोपी समर्थ को लेकर घर पहुंची सीबीआई

गिरिबाला सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित
टिवशा शर्मा मौत मामले में रिक्रिएशन किया सीन

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 27 मई. टिवशा शर्मा के मौत के मामले में मुख्य आरोपी समर्थ को सीबीआई ने बुधवार को जिला कोर्ट में पेश किया. समर्थ को 29 मई तक भोपाल कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड पर भेजा है. समर्थ को मेडिकल परीक्षण के लिए इससे पहले जांच सीबीआई जेपी अस्पताल लेकर भी पहुंची.

इसके बाद आरोपी समर्थ को लेकर उसके कटारा हिल्स थाना इलाके में स्थित बागमुगलिया एक्सटेंशन निवास पर सीबीआई



की टीम पहुंची. समर्थ के घर के जिस हिस्से में टिवशा का कथित तौर पर शव देखा गया था. सीबीआई ने सीन रिक्रिएशन किया और समर्थ से कई पहलुओं पर पूछताछ की. अब तक समर्थ से एसआईटी की टीम ने पूछताछ किया था और एसआईटी की टीम भी समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची थी. अब पूरा केस सीबीआई

को हैंडओवर कर दिया गया है. भोपाल पुलिस ने सीबीआई को केस डायरी भी हैंडओवर कर दी है. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मामले की जांच को सीबीआई अब शहर में अपना अस्थायी कैंप ऑफिस स्थापित करने की तैयारी में है, जिससे कि जांच को व्यवस्थित और गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाया जा सके.

सीबीआई के विशेष कैंप में जांच के दौरान कंट्रोल रूम के रूप में काम करेगा. इसके लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर को दिल्ली सीबीआई ऑफिस से एक पत्र भी भेजा गया है और सुरक्षित और सुविधानुसार स्थान उपलब्ध कराने की मांग कमिश्नर से की गई है. इस स्थान पर केस से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएंगे. इसके साथ ही सीबीआई की टीम सांदिग्धों और आरोपियों से इस स्थान पर पूछताछ के लिए भी बुला सकती है.

इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने टिवशा शर्मा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. (शेष पेज 12 पर)

टीएमसी नेता के ठिकाने से चार बैग और एक बोरा नोट मिले



नेता भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद हुआ बड़ा खुलासा

कोलकाता, 27 मई. पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामलों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में बदरिया नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद बड़ा

खुलासा हुआ है. पुलिस ने उनके पार्टी कार्यालय के पास जमीन की खुदाई कर 500-500 रुपये के नोटों से भरे चार बैग और एक बोरा बरामद किया है. शुरुआती अनुमान के अनुसार बरामद रकम करोड़ों रुपये में हो सकती है. पुलिस के मुताबिक, दीपांकर भट्टाचार्य की सरकारी तिरपाल घोटाले और अवैध संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पार्टी कार्यालय के पास खुदाई शुरू की. खुदाई के दौरान जमीन के अंदर दबाकर रखे गए नोटों से भरे बैग और बोरा बरामद हुए. (शेष पेज 12 पर)

81 करोड़ लोगों को मिलेगा राशन का लाभ

25,530 करोड़ खर्च होंगे
राशन हार्डटेक व्यवस्था में

05 साल के लिए जारी रहेगी सार्थक पीडीएस योजना

नई दिल्ली, 27 मई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में राशन परिवहन और हैंडलिंग-आय में स्वचालन के लिए सहायता योजना (सार्थक पीडीएस) को अगले पांच वर्षों के लिए एक अंब्रेला योजना के रूप में जारी रखने को

पंजुरी दे दी.

इस योजना के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के तौर पर 25,530 करोड़ रुपये का परिच्यय निर्धारित किया गया है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सीसीईए ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खाद्यान्नों की राशन के भीतर आवाजाही और हैंडलिंग पर किए गए खर्च, एफपीएस डीलरों के मार्जिन को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता के मानदंडों को

संशोधित करने और केंद्रीय सहायता के मौजूदा फंडिंग पैटर्न को जारी रखने का भी निर्णय लिया है. बयान में कहा गया है कि इस योजना को 16वें वित्त आयोग की आर्बटन अवधि में एक

‘अंब्रेला योजना’ के रूप में तैयार किया गया है. यह योजना एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के

यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सहायता (एनएफएस) के अंतर्गत आने वाले 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में कार्य करेगी. वैधानिक और नीतिगत ढांचे पर आधारित, सार्थक-पीडीएस योजना वित्तीय सहायता घटक को बनाए रखते हुए उसे सुव्यवस्थित करती है और साथ ही इसे आधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित पीडीएस प्रणाली में समाहित भी करती है.

माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार की योजना (स्मार्ट पीडीएस) को एकीकृत करती है.

असम बना यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य

गुवाहाटी, 27 मई. असम विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया, जिसके बाद राज्य देश में यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है.

इस विधेयक के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा परमा ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि इससे राज्य में सभी धर्मों के लोगों को नागरिक मामलों में कानून के सामने समान अधिकार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असम विधानसभा में यूसीसी बिल पारित होना केवल

अमित शाह ने दी बधाई

अमित शाह ने असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने पर राज्य की जनता और सरकार को बधाई दी है. गृह मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के समय से ही समान नागरिक संहिता के प्रति प्रतिबद्ध रही है.

एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि अधिक न्यायपूर्ण और एकजुट समाज की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है. (शेष पेज 12 पर)

1 जून 2026 से उपलब्ध

सिंगल प्रीमियम

डबल सुरक्षा

एक ही योजना, एक ही प्रीमियम जो आप दोनों की सुरक्षा करे।

एलआईसी की न्यू जीवन साथी

सिंगल प्रीमियम

यूआईएन: 512N393V01 | प्लान नं: 888

नॉन-पार, नॉन-लिवड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना

मुख्य विशेषताएँ:

- एक ही पॉलिसी में पति और पत्नी दोनों के लिए संयुक्त जीवन सुरक्षा
- संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान प्रति ₹1000/- की मूल बीमा राशि पर ₹70/- की दर से गारंटीड एडिशनल्स
- बेहतर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त राइडर विकल्प
- मौजूदा पॉलिसीधारकों और दिवंगत पॉलिसीधारकों के नामितों/लाभार्थियों के लिए रिबेट
- ऋण सुविधा उपलब्ध

ऑनलाइन भी उपलब्ध है

भारतीय जीवन बीमा निगम

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

1 जून 2026 से उपलब्ध

दो जीवन, एक वादा.

सुरक्षित एक साथ.

एक ही पालिसी में आपके और आपके जीवन साथी के लिए संयुक्त जीवन सुरक्षा

प्रीमियम भुगतान की सीमित अवधि

भुगतान किए गए कुल वार्षिक प्रीमियम पर 7% गारंटीड एडिशनल्स

मौजूदा पॉलिसीधारकों और दिवंगत पॉलिसीधारकों के नामितों/लाभार्थियों के लिए रिबेट

ऋण सुविधा उपलब्ध

ऑनलाइन भी उपलब्ध

लिमिटेड प्रीमियम

यूआईएन: 512N394V01 प्लान नं 889

नॉन-पार, नॉन-लिवड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना

समूहवार कोड स्कैन कीजिए और My LIC App अभी डाउनलोड कीजिए!

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेंट/असनी निवेदक एलआईसी शाखा से संपर्क करें/ www.licindia.in पर जाएं

हमें यहां फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

घोखेघड़ी वाले फोन कॉलस तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें। आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बीनस की घोषणा या प्रीमियम के निवेश, चालिसा लौटाना जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फोन कॉलस मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें। कृपया बिक्री के समापन से पहले बिक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें।

अधिक जानकारी के लिए अपने एजेंट/नज़दीकी एसआईसी शाखा से संपर्क करें या www.licindia.in पर जाएं

हमारा बॉट्सएप नं. 8976862090

कहिए 'Hi'

हमारे फॉलो करें: LIC India Forever

IRDAI Regn No.: 512

यूआईएन: 512N394V01 प्लान नं 889

नॉन-पार, नॉन-लिवड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ